सुलखान सिंह
आई0पी0एस0

परिपत्र संख्याः डीजी– 39 /2017

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश
1–तिलकमार्ग, लखनऊ–226001
दिनांकः नवम्बर 16 ,2017

विषय :–क्रिमिनल मिस रिट पिटीशन संख्याः 10722/2017 सोमन प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधि0 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की त्वरित एवं समयबद्ध विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में।

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त रिट याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांकित 04.09.2017 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भ्र0नि0अधि01988 के अन्तर्गत पंजीकृत अनेक अभियोगों के वर्षों विवेचनाधीन रहने, अभियोजन स्वीकृति समय से प्राप्त न होने तथा अभियोगों की विवेचना लम्बे समय तक लम्बित रहने के तथ्य को गम्भीरता से लेते हुए ऐसे मामलों में शीघ्र अभियोजन स्वीकृति प्राप्त कर समय से विवेचना का निस्तारण करने का आदेश पारित किया गया है। मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मुख्य अंश निम्नवत् है :–

'The Court has come across several cases under Prevention of Corruption Act, 1988 in which investigation is pending for several years and not yet concluded and moreover, sanction has not been given at appropriate time. Sri Manish Goyal, learned Additional Advocate General assisted by Sri A.K. Sand who are in Court has assured the Court that they shall look into the matter and apprise the competent authorities in this regard to take effective steps for timely conclusion of investigation of said cases and further required sanction under the Act is also granted timely."

भ्र0नि0अधि0 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों के लम्बी अवधि तक विवेचनाधीन रहने से न केवल न्याय व्यवस्था के प्रति जनता में अविश्वास उत्पन्न होता है, बल्कि दोषी व्यक्ति भी साक्ष्य न मिल पाने अथवा अन्य कारण से दोषमुक्त हो जाते है साथ ही कतिपय मामलों में निर्दोष कर्मचारी भी सेवानिवृत्त लाभ से वंचित हो जाते है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैः–

1. भ्र0नि0अधि0 1988 के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों की विवेचना निरन्तर समीक्षा की जाये और विवेचना का निस्तारण समयबद्ध ढंग से शीघ्र सुनिश्चित किया जाए।
2. समय से विवेचना पूर्ण करके समस्त सुसंगत अभिलेखों सहित अभियोजन स्वीकृति हेतु पत्रावली शीघ्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रेषित किया जाए तथा सक्षम अधिकारी द्वारा यथाशीघ्र अभियोजन स्वीकृति प्रदान किया जाये।

3. अभियोजन स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

आप सभी से अपेक्षा की जाती है कि मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने निर्णयों में स्थापित विधि व्यवस्था का अनुपालन करते हुए यथाशीघ्र अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करके समयबद्ध ढंग से विवेचना पूर्ण कराने का कष्ट करेंगे।

भवदीय

(सुलखान सिंह)

1. पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक,
सी0बी0सी0आई0डी0/ सर्तकता अधिष्ठान/भ्र0नि0संगठन/
आर्थिक अपराध संगठन/विशेष अनुसंधान दल/रेलवे

2. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/समस्त पुलिस महानिरीक्षक उ0प्र0।